सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 30, सोमवार, *शाके* 1945-अगस्त 21, 2023

Sravana 30, Monday , Saka 1945- August 21, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 08, 2023

संख्या प.4(17)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.08.2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) जयपुर एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) जयपुर के क्षेत्र में से पंचायत समिति, दूदू की 57 ग्राम पंचायते क्रमशः अखैपुरा, आईदान का बास, आकोदा, आसलपुर, उगरियावास, उरसेवा, काचरोदा, कोरसीना, खुडियाला, खेडी राम, गंगातीकला, गहलोता, गागरडू, गाडोता, गिदानी, गुढाबेरसल, गैजी, चैनपुरा, झरना, झाग, ढाणीबोराज, ढींढा, दूदू, दातरी, धमाणा, धांधोली, नरायना, नानण, पडासोली, बरडोटी, बिचून, बिहारीपुरा, बिगोलाव, बोबास, बोराज, ममाणा, मरवा, महला, मांगलवाडा, मौखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, रहलाना, रोजडी, शार्दुलपुर, साखून, साली, सावरदा, सांवली, सिरोहीकला, सुनाडिया, सुरसिंहपुरा, सेवा, हबसपुरा, हरसोली, हिरनोदा, श्रीरामपुरा एवं पंचायत समिति सांगानेर की 12 ग्राम पंचायते क्रमशः अजयराजपुरा, पवालिया, भापुरा, महापुरा, दहमीकला, भम्भोरिया, देवलिया, ठिकरिया, कालवाड, अवानिया, नृहसिंहपुरा, रामपुरा ऊती तथा नगर पालिका क्षेत्र बगरू के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति बगरू के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई थी।

आगे राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.04.2023 द्वारा अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध मे पंचायत समिति सांगानेर की 26 ग्राम पंचायतें क्रमशः अजयराजपुरा, पवालिया, भापुरा, महापुरा, दहमीकला, भम्भोरिया, देवलिया, ठीकरिया, कालवाड, अवानिया, नृहसिंहपुरा, रामपुरा, ऊती, बलिवा, बडी का बास, श्रीराम की नांगल, आशावाला, वाटिका, दादिया, लाखना, कपूरवाला, खेडी गोकुलपुरा, मोहनपुरा, मदाऊ, जयसिंहपुरा, जगन्नाथपुरा, नेवटा एवं पंचायत समिति जोबनेर की 5 ग्राम पंचायतें क्रमशः . आईदान का बास, आसलपुर, ढाणी बोराज, ढ़ीढा, बोबास तथा नगर पालिका क्षेत्र बगरू का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति बगरू का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था।

आगे राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, बगरू का कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन एवं इस कृषि उपज मण्डी समिति को 'स' श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

कृषक वर्गः-

1. श्री अनिल कुमार नन्दवाना पुत्र श्री गोवर्धन लाल नन्दवाना
2. श्रीमती देवकी शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, (महिला सामान्य)
3. श्री आनन्दी लाल बागोरिया पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल (एस.सी.)
4. श्री श्योजीराम मीणा पुत्र श्री रामेश्वर मीणा (एस.टी.)
5. श्री फूलचन्द जाट पुत्र श्री जीवणराम जाट (ओबीसी)
6. श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री बजरंग लाल मीणा (महिला एसटी)

व्यापारी वर्गः-

1.श्री संजय बडाया पुत्र स्व0 श्री हनुमान सहाय

ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यः-

1.श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा

स्थानीय निकाय प्रतिनिधि

1. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री नन्द किशोर आलोरिया

विधानसभा का सदस्यः-

1. श्रीमती गंगादेवी विधायक बगरू

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

1. श्री महावीर पाटनी नेहरू बाजार बगरू।

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, बगरू से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।